



अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
राजस्थान संसिद्धि एवं विकास
कृषि एवं विज्ञान कर्मों में

ई-मेल / अपलोड

**राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग**

क्रमांक : एफ 17(1)खा.वि./न्याय/2025

जयपुर, ई-हस्ता. दिनांक

संशोधित आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 17(1)खा.वि./न्याय/2025 दिनांक 12.03.2025 के द्वारा विधानसभा क्षेत्र केशवरायपाटन जिला बून्दी हेतु नवीन उचित मूल्य दुकान खोलने हेतु प्रेषित प्रस्ताव में संशोधन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	पूर्व में चिन्हित स्थान जिनके आदेश जारी किए गए	संशोधित चिन्हित स्थान
01	02	03	04
01	केशवरायपाटन	बड़ाखेडा	झालीजी का बराना

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(सुनील पूनिया)

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला सहायक, उपायुक्त एवं उपशासन सचिव (प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, बून्दी, राजस्थान।
6. जिला रसद अधिकारी, बून्दी को प्रेषित कर लेख है विधानसभा क्षेत्र केशवरायपाटन हेतु पूर्व में प्रस्ताव के स्थान पर उक्त संशोधित चिन्हित स्थान पर उचित मूल्य दुकान खोलने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करावें।
7. रक्षित पत्रिका।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suril Poonia
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.06.11 11:09:14 IST
Reason: Approved

